मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कमांक/1467/मबावि/2017, भोपाल, दिनांक..06/05/2017

प्रति,

कलेक्टर
जिला – समस्त
मध्यप्रदेश

विषय– **लाड़ली लक्ष्मी योजनान्तर्गत ई–प्रमाणपत्रों को हितग्राहियों को उपलब्ध कराने विषयक विशेष अभियान चलाने के संबंध में।**

.....

लाड़ली लक्ष्मी योजना शासन की प्रमुख फ्लेगशिप योजनाओं में से एक है, जिसे वर्ष 2014–15 से रिविजिट करते हुये प्रकरण स्वीकृति उपरांत हितग्राहियों को ई–प्रमाणपत्र जनरेट कर उपलब्ध कराए जा रहे है। साथ ही योजना में पूर्ववर्ती वर्षो (2007–08 से वर्ष 2013–14 तक) में पंजीकृत हितग्राहियों से भी राष्ट्रीय बचत पत्र (एनएससी) वापस प्राप्त करते हुए ई–प्रमाण पत्र उपलब्ध कराऐं जाने के निर्देश समय–समय पर शासन स्तर से दिये जाते रहे है।

हितग्राहियों को ई–प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यह स्थिति ज्ञात हुई है कि प्रमाण–पत्रों को जनरेट तो कर लिया गया है, किन्तु उनका वितरण हितग्राहियों को नहीं किया गया है, जिससे समाधान ऑनलाईन एवं अन्य फोरम पर प्रमाण पत्र नहीं मिलने संबंधी शिकायत प्राप्त हो रही है और शासन की छवि धूमिल हो रही है।

इसके लिए आवश्यक है कि जिला स्तर पर 08 मई से 15 मई 2017 तक एक सप्ताह का विशेष अभियान चलाते हुए योजना में पंजीकृत समस्त हितग्राहियों को जिन्हें प्रमाण पत्र वितरित नहीं किया गया है, उन्हें प्रमाण–पत्र उपलब्ध कराया जायेः–

उपरोक्त के लिए निम्न कार्यवाहियां अपेक्षित हैः–

1. परियोजना अधिकारी/खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी द्वारा वितरण से शेष रहे प्रमाण–पत्रों को जनरेट कर पर्यवेक्षक के माध्यम से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को उपलब्ध कराया जावेगा। अभियान के प्रारंभिक 03 दिवसों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने आंगनवाड़ी क्षेत्र के लाडली लक्ष्मी योजना के समस्त हितग्राहियों के अभिभावकों से संपर्क कर प्रमाण–पत्र की उपलब्धता की पुष्टि करेंगी, यदि हितग्राही को प्रमाण–पत्र नहीं मिला है तो प्रमाण–पत्र का वितरण कर पावती प्राप्त करेंगी तथा समस्त वितरण किये गये प्रमाण–पत्रों की पावतियां पर्यवेक्षक के माध्यम से परियोजना कार्यालय/विकासखंड महिला सशक्तिकरण कार्यालय को उपलब्ध करायी जावेगी तथा अपने आंगनवाड़ी क्षेत्र में शत–प्रतिशत प्रमाण–पत्रों के वितरण का प्रमाण–पत्र पर्यवेक्षक को उपलब्ध करायेगी।
2. पर्यवेक्षक, सेक्टर स्तर के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों में लाड़ली प्रमाण–पत्रों के वितरण के कार्य का निरीक्षण करेगी तथा यह सुनिश्चित करेंगी कि उनके सेक्टर के समस्त योजना के पंजीकृत हितग्राहियों को प्रमाण–पत्र का वितरण कर दिया गया है तथा इस आशय का प्रमाण पत्र परियोजना अधिकारी/खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी को उपलब्ध करायेगी।

3. अभियान के अंतिम 03 दिवसों में परियोजना अधिकारी/खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी योजना का पात्र/पंजीकृत हितग्राही ई–प्रमाणपत्र की उपलब्धता से वंचित न रहें। किसी प्रकरण विशेष में कोई समस्या आने पर वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन प्राप्त कर समस्या का निराकरण करेंगे तथा अपने परियोजना/विकासखंड में योजना के समस्त हितग्राहियों को प्रमाण–पत्रों को वितरण कर दिया गया है, इस आशय का प्रमाण–पत्र जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी को अभियान की समाप्ति पर उपलब्ध करायेगें।
4. खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी/परियोजना अधिकारी/जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी अपने–अपने क्षेत्र में प्रमाण–पत्रों के वितरण के कार्य का निरीक्षण करेंगे तथा कार्य के सुचारू संचालन व शत–प्रतिशत प्रमाण–पत्रों के वितरण को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करेंगे।
5. संभागीय संयुक्त संचालक एवं उप संचालक अभियान के दौरान अपने क्षेत्र में प्रमाण–पत्र के वितरण के कार्य का रेण्डमली परीक्षण करेंगे तथा पुष्टि करेंगे कि उनके संभाग में समस्त योजना के समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रमाण–पत्रों का वितरण कर दिया गया है। उक्त कार्य में किसी प्रकार की कठिनाई होने पर जिलों को आवश्यक मार्गदर्शन/दिशा–निर्देश प्रदान करेंगे।
6. संचालनालय के अधिकारियों द्वारा भी अपने निरीक्षण के दौरान इस बात का रेण्डमली परीक्षण किया जावेगा कि क्षेत्र में योजना के समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रमाण–पत्रों का वितरण कर दिया गया है।

अभियान समाप्ति के 03 दिवस में जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी अपने संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का प्रमाण–पत्र संचालनालय महिला सशक्तिकरण को उपलब्ध करायेंगे कि उनके जिले में लाड़ली लक्ष्मी योजनान्तर्गत समस्त पंजीकृत हितग्राहियों को प्रमाण–पत्रों का वितरण कर उपलब्ध करा दिया गया है तथा कोई भी हितग्राही प्रमाण–पत्र वितरण से शेष नहीं है।

उपरोक्त अभियान के पश्चात् यदि समाधान ऑनलाईन/सीएम हेल्पलाईन या अन्य फोरम पर योजना में पंजीकृत हितग्राही को लाड़ली प्रमाण–पत्र न मिलने संबंधी शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित अधिकारियों के विरूद्व कड़ी अनुशासनात्मक व दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

कृपया उक्त अनुसार अभियान चलवाने के सर्वसंबंधितों को निर्देशित करते हुए अभियान समाप्ति पर प्रगति प्रतिवेदन संचालनालय महिला सशक्तिकरण को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

4/5/17

(जे. एन. कांसोटिया)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश

पृ. क्रमांक /1468 मबावि / 2017, भोपाल, दिनांक..06/ 05 / 2017

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, संचा. एकीकृत बाल विकास सेवा, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. आयुक्त, संचा. महिला सशक्तिकरण, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. समस्त संभागीय आयुक्त, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त अधिकारी, संचा. एकीकृत बाल विकास सेवा / संचा. महिला सशक्तिकरण म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
4. समस्त क्षेत्रीय समन्वयक, महिला एवं बाल विकास विभाग, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक / उप संचालक, म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
7. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी / जिला महिला सशक्तिकरण अधिकारी, म.प्र. की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी / समस्त खंड महिला सशक्तिकरण अधिकारी, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

6/5/17

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मध्यप्रदेश